

दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिनांक 14 दिसंबर 2018 पूर्वाह्न 10:30 बजे, राज निवास, दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:

अध्यक्ष

श्री अनिल बैजल,
उपराज्यपाल, दिल्ली

उपाध्यक्ष

श्री उदय प्रताप सिंह

सदस्य

1. श्री के विनायक राव
वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा.
2. श्री जयेश कुमार,
अभियंता सदस्य, दि. वि. प्रा.
3. श्री के. संजय मूर्ति,
अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय,भारत सरकार
4. सदस्य सचिव
एनसीआर योजना बोर्ड
5. श्री विजेंद्र गुप्ता
विधायक एवं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष

6. श्री सोमनाथ भारती, विधायक
7. श्री एस.के. बग्गा, विधायक
8. श्री ओ.पी. शर्मा, विधायक
9. श्री मनीष अग्रवाल
निगम पार्षद, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम
10. श्री जयेन्द्र कुमार डबास
निगम पार्षद, उत्तरी दिल्ली नगर निगम

सचिव

श्री डी सरकार
आयुक्त एवं सचिव, दि.वि.प्रा.

विशिष्ट अतिथिगण

1. श्री विजय कुमार देव,
मुख्य सचिव, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार,
2. श्रीमती रेन् शर्मा,
प्रधान सचिव(वित्त), रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार
3. श्री राजीव यदुवंशी,
प्रधान सचिव (शहरी विकास), रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार
4. श्री मधुप व्यास,
आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम,
5. श्री श्रीपाल,
प्रधान आयुक्त (कार्मिक, उद्यान, भू-दृश्यांकन एवं भूमि प्रबंधन),
दि.वि.प्रा.

6. श्री शुरबीर सिंह,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डीयूएसआईबी

उपराज्यपाल सचिवालय

1. श्री विजय कुमार,
उपराज्यपाल, के प्रधान सचिव
2. श्री आर.एन. शर्मा,
उपराज्यपाल के विशेष सचिव
3. श्री रवि धवन,
उपराज्यपाल के संयुक्त सचिव
4. श्री अनूप ठाकुर
उपराज्यपाल के निजी सचिव

I. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/ अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित प्राधिकरण के सभी सदस्यों, विशिष्ट अतिथिगण और वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया।

II. माननीय उपराज्यपाल/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने श्री विजय कुमार देव, मुख्य सचिव, रा.रा.क्षेत्र, दिल्ली सरकार, श्री तरुन कपूर, उपाध्यक्ष और श्री शैलेन्द्र शर्मा, अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा. का स्वागत किया।

मद संख्या 47/2018

राज निवास पर दिनांक 07.09.2018 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

एफ.2(2)2018/एमसी /डीडीए

प्रधान सचिव (वित्त), रा.रा.क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने कहा कि भूमि नीति के प्रचालन हेतु अनुमोदित विनियमों के खंड 15 में संशोधनों के संबंध में मद सं. 28/2018 के लिए प्राधिकरण क बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार स्टांप ड्यूटी की घूट हेतु अधिसूचना को विभागीय आयुक्त द्वारा जारी किया जाना अपेक्षित होगा, जिसके द्वारा यह रिकार्ड किया गया कि भूमि स्वामियों द्वारा सेवा प्रदाता एजेंसी/दिविप्रा को भूमि के अंतरण पर कोई स्टांप ड्यूटी लागू नहीं होगी।

प्राधिकरण की दिनांक 07.09.2018 को आयोजित बैठक के यथाप्रचालित कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

मद संख्या 48/2018

दिनांक 07.09.2018 को दिल्ली विकास प्राधिकरण की आयोजित बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट।

एफ.2(3)2018/एमसी/डीडीए

प्राधिकरण के सदस्यों ने दिनांक 07.09.2018 को आयोजित प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) के संबंध में निम्नलिखित अवलोकन किए:-

श्री विजेंद्र गुप्ता

- i. प्राधिकरण की बैठक का आयोजन मासिक आधार पर किया जाना चाहिए तथा प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर समय से कार्रवाई की जानी चाहिए।
- ii. पिछले कुछ वर्षों में दि.वि.प्रा. की किसी संपत्ति की नीलामी नहीं की जा सकी क्योंकि आरक्षित मूल्य अवास्तविक रूप से बहुत अधिक थे। तथापि, आरक्षित मूल्य के कम किए जाने के बाद भी, पिछले एक वर्ष से कोई प्लॉट नीलाम नहीं किया गया, जिसकी वजह से दि.वि.प्रा. को भूमि की सुरक्षा की अनावश्यक लागत वहन करनी पड़ रही है। इसके अतिरिक्त खाली प्लॉटों पर

अतिक्रमण किया गया। इन प्लॉटों का अभीष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग करना इन क्षेत्रों का विकास करने में मददगार होगा।

- iii. ईदगाह पर पुराने बूचड़खाने के आस-पास का क्षेत्र शहर का बहुत ही भीड़-भाड़ वाला भाग है और इस स्थल पर मल्टी-लेवल कार पार्किंग बनाने की आवश्यकता है। चूंकि इस क्षेत्र में कई स्कूल हैं, इसलिए इस भूमि का उपयोग मल्टी-लेवल पार्किंग के लिए जाना चाहिए।
- iv. मुख्य अभियंताओं के कम से कम 50 प्रतिशत पदों को दिविप्रा संवर्ग अधिकारियों द्वारा तदर्थ पदोन्नति करके अथवा वरिष्ठतम अधीक्षण अभियंताओं को वर्तमान ड्यूटी चार्ज प्रदान कर, यदि आवश्यक हो, भरा जाना चाहिए।
- v. अनुकंपा आधार पर नियुक्ति से संबंधित मामले को शीघ्र निपटाया जाए।
- vi. चैरिटेबल संस्थानों को रियायती दरों पर एक अलग श्रेणी के रूप में भूमि के आबंटन की पुनः जांच की जानी चाहिए क्योंकि यदि इन संस्थानों को भूमि व्यावसायिक दरों पर आबंटित की जाती है तो इन संस्थानों द्वारा चैरिटेबल सेवाएं प्रदान करना संभव नहीं होगा। दि.वि.प्रा. को यह जांच करनी है कि इस प्रक्रिया को पारदर्शी कैसे बनाया जा सकता है।
- vii. दि.वि.प्रा. शैक्षणिक भूमि उपयोग रेणिके अंतर्गत इन्हें युक्ति ^{रूप}गत बनाने हेतु अतिरिक्त को शैक्षणिक गतिविधियों /उपयोग परिसरों की अनुमेयता के लिए दंड खंड को दोबारा देखना होगा।
- viii. रामलीला में झूलों, फूड स्टाल, इत्यादि के लिए बड़े क्षेत्र को आबंटित करना चाहिए।

इस मामले पर, अन्य सदस्यों ने यह अनुरोध किया कि प्रत्येक म्यूनिसिपल वार्ड/विधान सभा क्षेत्र के निर्धारित 'उत्सव ग्राउंड' होने चाहिए। पार्कों के रखरखाव के लिए, यह सुझाव दिया गया था कि आर.डब्ल्यू.ए./सोसायटी का पीपीपी मॉडल पर या प्रोत्साहन देकर सहयोग लिया जा सकता है।

- ix दि.वि.प्रा. उन स्कूलों के पट्टे बहाली के लिए नीति का जांच और उसे तैयार करेगा, जहां पट्टा शर्तों का उल्लंघन समाप्त कर लिया गया हो। पट्टा शर्तों के उल्लंघन के लिए अनुकरणीय कार्रवाई भी की जा सकती है।
- x नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता न होने की वजह और सुरक्षा कारणों से पेपर ट्रेडर्स गाजीपुर पेपर मार्किट में शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। दिविप्रा मामले के समाधान हेतु मार्किट एसोसिएशन से बातचीत करे तथा परिसर के अब तक के दुरुपयोग के लिए एक बार की छूटी की मांग की जांच करें।
- xi पदधारी को पदोन्नति प्रदान करने हेतु निदेशक (वित्त) के पद को आयुक्त के स्तर में अपग्रेड करने के मामले की पुनः जांच की जानी चाहिए।
- xii यह निर्णय होने के बाद भी कि बदरपुर ट्रेडर्स यूनियन करे भूमि के आबंटन संबंधी एजेंडा को प्राधिकरण के समक्ष रखा जाएगा, एटीआर में उल्लिखित है कि पट्टा रद्द करने हेतु मुकदमा दायर करने की कार्रवाई की गई। मामले की पुनः जांच की जाए।
श्री ओपी शर्मा ने भी मामले को उठाया।
- xiii नर्सरी स्कूलों के लिए निर्धारित उपयोग में न लायी गई भूमि का खेल के मैदानों, पार्किंग अथवा अन्य उपयोग हेतु अस्थायी उपयोग किया जाना चाहिए।

श्री सोमनाथ भारती

- i प्राधिकरण की बैठकों के दौरान सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दे का कोई समाधान नहीं किया गया है। इसके लिए जवाबदेही निर्धारित की जानी चाहिए।
- ii ईदगाह पर पुराने बूचड़खाने वाले स्थान पर स्कूल को आबंटित की जाने वाली जमीन के आकार का प्रस्तावित के अनुसार 4000 वर्ग

मीटर से घटाकर 1600 वर्ग मीटर नहीं किया जाना चाहिए। स्कूल के लिए भूमिकाआबंटन मास्टर प्लान में निर्धारित के अनुसार होना चाहिए। आसपास के क्षेत्र में प्रस्तावित पार्किंग को किसी अन्य स्थल पर विकसित किया जा सकता है।

- iii चूंकि,हौज खास में खसरा नं. 277 पर अनधिकृत निर्माण पर रोक के आदेश को रद्द कर दिया गया है, अतः अनधिकृत निर्माण को गिराने का कार्य शुरू किया जाना चाहिए।
- iv दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त भूमि के आबंटन हेतु अनुरोध के बाद गौतम नगर के निवासियों के लिए सामुदायिक सेवाओं हेतु वैकल्पिक भूमि आबंटित की जाए।
- v 1954 के आदेशानुसार, नर्सरी स्कूल प्लॉटों का उपयोग सामुदायिक सेवाओं हेतु किया जा सकता है, इस मामले में नीति निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं है। इन प्लॉटों का उपयोग इन प्लॉटों के अनधिकृत अतिक्रमण को भी रोक देगा।

श्री ओपी शर्मा

- i प्राधिकरण बैठकों के दौरान उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों के लिए कोई उचित उत्तर नहीं दिया गया। प्राधिकरण की बैठकों के कार्यवृत्तों को उचित रूप से अभिलिखित नहीं किया गया और कैमरा कार्यवाही को शुरू किया जाना चाहिए।
- ii 60 फुट मार्गाधिकार सार्वजनिक सड़क से अतिक्रमण हटानेके मामले को उठाने के बाद भी पिछले चार वर्षों से दिविप्रा द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, यद्यपि दि.वि.प्रा. को इस मामले में नोडल एजेंसी की भूमिका सौंपी गई थी। सार्वजनिक सड़कों पर अतिक्रमणकारी को मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिए। दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी निदेश दिया कि सार्वजनिक सड़को पर अतिक्रमण हटाना जाना चाहिए और माननीय न्यायालय के आदेश में उनके निर्वाचन क्षेत्र में आने वाली सड़क को शामिल किया गया।

- iii यद्यपि उन्होंने ओखला में नदी तट पर अनधिकृत निर्माण से संबंधित मामले को उठाया था, तथापि पिछले छह महीनों में इन अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। जवाबदेह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उपाध्यक्ष, दिविप्रा ने साइट का निरीक्षण करवाया और 15 दिनों के भीतर समयबद्ध कार्रवाई योजना तैयार की।
- iv दिविप्रा अधिकारियों ने अनधिकृत अतिक्रमण के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करते हैं। सैनी एनक्लेव, चित्रा विहार, राजधानी एनक्लेव और कड़कड़ूमा अतिक्रमित सरकारी भूमि पर व्यवसायिक गतिविधि की जा रही है।
- v उन्होंने प्रस्तुत 'की गई' कार्रवाई रिपोर्ट पर अपनी असंतुष्टि व्यक्त की है और यह इच्छा व्यक्त की है कि संबंधित विभागों से राय लेने के बाद सभी तथ्यों के साथ एक अधिक विस्तृत रिपोर्ट को प्राधिकरण के समक्ष रखा जाना चाहिए।
- vi भूमि के आबंटन के लिए निष्पादित विभिन्न प्रकार के पट्टों के संकलन के संबंध में और समाप्त पट्टों के नियमितकरण के लिए नीति तैयार करने अथवा ऐसी भूमि को वापिस लेने के मामले के संबंध में, की गई कार्रवाई रिपोर्ट में दी गई जानकारी व्यापक नहीं है। दिविप्रा विभिन्न प्रकार के निष्पादित पट्टों के तथा इनमें से फ्री-होल्ड में कनवर्जन हेतु लंबित मामलों की एक सूची तैयार करें। सभी प्रकार के पट्टों की जांच की जानी चाहिए, तथा उसके बाद, छूट प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाना चाहिए। पट्टों का विस्तार नीति के अनुसार किया जाना चाहिए न कि व्यक्तिगत मामलों के अनुसार।
- vii बदरपुर ट्रेडर्स यूनियन को भूमि का आबंटन नियमित किया जाए।

श्री एस.के. बग्गा

- i उनके निर्वाचन क्षेत्र से अतिक्रमण हटानेके बाद पार्को को विकसित किया जाए।

श्री मनीष अग्रवाल

- i. पार्को का रख-रखाव दिल्ली नगर निगम के मानदंडों के अनुसार सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) मोड पर किया जाए।

श्री जयेन्द्र कुमार डबास

- i. अनधिकृत कॉलोनियों में खाली दिविप्रा भूमि को दिल्ली नगर निगम को स्कलों, पार्को, डिस्पेंसरियों, इत्यादि हेतु सौंपा जाए। आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम निर्धारित भूमि की पहचान कर उपाध्यक्ष, दिविप्रा को सूचित करें।

मद सं. 49/2018

घरेलू /सेवा उद्योगों के संबंध में दिमुयो.-2021 के अध्याय 7 में प्रस्तावित संशोधन

एफ.20(12)2018/एमपी

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। संबंधित मामले को अंतिम अधिसूचना जारी करने हेतु आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जाए।

मद सं. 50/2018

योजना जोन-डी में सर्वोच्च न्यायालय अभिलेखागार और एडवोकेट के लिए चेंबर बनाने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय को आबंटित भूमि को 'परिवहन' (बस डिपो) टी 2 से 'सरकारी' (सरकारी कार्यालय) जी 2 में 1.336 एकड़ (5406 वर्ग मी.) के क्षेत्रफल के भूमि उपयोग का प्रस्तावित परिवर्तन

एफ.20(6)2018/एमपी

मद सं. 51/2018

योजना जोन-ई में आने वाले डीएमआरसी द्वारा प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए त्रिलोकपुरी में स्थित 2808.00 वर्ग मी. मापन वाले क्षेत्र के 'मनोरंजनात्मक से आवसीय' भूमि उपयोग के प्रस्तावित परिवर्तन से संबंधित प्रस्ताव ।

एफ.20(9)2016/एमपी

एजेंडा मद को स्थगित कर दिया गया।

मद सं. 52/2018

दिल्ली में पीपीपी मोड पर स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास/पुनर्वास संबंधी नीति को दि.वि.प्रा. में अपनाया जाएगा।

एफ.2(43)2018/पीएमएवाई

1. श्री विजेन्द्र गुप्ता ने पाया कि लाभार्थियों को दण्ड खण्ड सहित दि.वि.प्रा. द्वारा विनिर्दिष्ट समय सीमा के बाद सरकार द्वारा निर्धारित लागत का भुगतान करने की अनुमति दी जानी चाहिए। तदनुसार, दि.वि.प्रा. द्वारा स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास/पुनर्वास हेतु नीति के पैरा डी (आई) को संशोधित करने का निर्णय लिया गया। पैरा डी(आई) को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा।

“यदि लाभार्थी दि.वि.प्रा. द्वारा विनिर्दिष्ट समय सीमा के अंदर सरकार द्वारा निर्धारित लागत का भुगतान नहीं करता है तो लाभार्थी को दि.वि.प्रा. के संगत नियमों के अनुसार, निर्धारित समयावधि तक लंबित भुगतान पर दण्ड ब्याज/जुर्माने का भुगतान करना होगा, जिसे स्कीम के दिशानिर्देशों में परिभाषित किया जाएगा।”

2. एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को उक्त संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया।

मद सं. 53/2018

दि.वि.प्रा. आवासीय योजना 2014 के अंतर्गत आबंटित फ्लैट के आबंटितियों/कानूनी उत्तराधिकारियों के संबंध में हस्तांतरण विलेख के निष्पादन हेतु 5 वर्ष की परिबंधन अवधि के संबंध में खण्ड 16 (सी) और 16 (डी) में संशोधन करने हेतु एजेंडा नोट

एफ.1(303)एनएंडसी(एच)/2013/पार्ट. I

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद सं. 54/2018

- i. वर्ष 2018-2019 हेतु व्यावसायिक एवं औद्योगिक सम्पत्तियों के संबंध में लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तन प्रभारों की गणना के उद्देश्य हेतु दरों का निर्धारण।
 - ii. वर्ष 2018-19 हेतु मल्टी-लेवल पार्किंग क्षेत्र के संबंध में लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तन प्रभारों की गणना के उद्देश्य हेतु भूमि दरों का निर्धारण
- एफ.2(34)99/एओ(पी)/डीडीए/पार्ट.

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद सं. 55/2018

वर्ष 2018-19 हेतु दुरुपयोग प्रभारों की गणना के उद्देश्य से भूमि दरों का निर्धारण।

एफ.2(14)96-97/एओ(पी)/डीडीए/पार्ट-II

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद सं. 56/2018

वर्ष 2018-19 हेतु दिल्ली के विभिन्न जोनों में प्लॉटों और फ्लैटों के आबंटन हेतु विकसित क्षेत्रों में पूर्व-निर्धारित भूमि दरों का निर्धारण।

एफ.डिप्टी. सीएओ(एलसी)/डीडीए/2004-05

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद सं. 57/2018

निम्नलिखित क्षेत्रों के संबंध में पूर्व-निर्धारित दरों (पीडीआर) का निर्धारण:

- क. वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु रोहिणी आवासीय स्कीम फेज IV एवं V
- ख. वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु टिकरी कला एवं
- ग. वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 हेतु नरेला

एफ.2(204)2018/एओ(पी)/डीडीए

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। प्रस्ताव को विचारार्थ और अंतिम अधिसूचना जारी करने हेतु आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया।

मद सं. 58/2018

न्यायालय/माध्यस्थतम् अधिकरणों में शपथ पत्र दायर करने के लिए अधिशासी अभियंताओं को शक्तियों का प्रत्यायोजन।

एफ.ई.एम.3(5)/2017/मिस्ले./डीडीए/पार्ट

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

तथापि, यह पाया गया कि कई बार समय पर शपथ-पत्र दायर नहीं किए जाते और दि.वि.प्रा. अधिवक्ता न्यायालय कार्यवाहियों में उपस्थित नहीं होते। यह निर्णय लिया गया कि यदि दि.वि.प्रा. न्यायालय कार्यवाहियों के दौरान उचित रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता है तो जवाबदेही निर्धारित की जानी चाहिए।

मद सं. 59/2018

दि.वि.प्रा. स्टॉफ क्वार्टरों में अधिक समय तक रहने के लिए क्षतिपूर्ति लाईसेंस शुल्क की वसूली तत्संबंधी समीक्षा।

एफ.1(27)/2017/एसक्यू/डीडीए

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

पात्र मामलों में निम्न स्तर के कर्मचारियों द्वारा स्टॉफ क्वार्टर में निर्धारित समय से अधिक समय तक रहने हेतु क्षतिपूर्ति लाईसेंस शुल्क के भुगतान में समान राहत पर विचार करने के लिए प्रस्ताव पर भी जांच की जानी चाहिए।

मद सं. 60/2018

स्वस्थाने अपग्रेडेशन/पुनर्वास परियोजनाओं में अनुमेय व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में दि.मु.यो.-2021 में प्रस्तावित संशोधन

एफ.3(36)1996/एमपी/पार्ट-।

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। प्रस्ताव को विचारार्थ और अंतिम अधिसूचना जारी करने हेतु आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया।

मद सं. 61/2018

सीआरपीएफ, नई दिल्ली के लिए बीसीएस अंधेरिया मोड़ स्थित 8.83 एकड़ (3.57 हे.) स्थल के भूमि उपयोग का 'आवासीय' से 'सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं (पीएसपी)' में परिवर्तन
एफ.3(46)/2006/एमपी

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। प्रस्ताव को विचारार्थ और अंतिम अधिसूचना जारी करने हेतु आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया।

मद सं. 62/2018

दि.मु.यो.-2021 में 'सरकारी भूमि - उपयोग अनिर्धारित' श्रेणी के भूमि उपयोग हेतु प्रावधान के संबंध में
एफ.20(01)2016/एमपी

1. एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को निम्नलिखित संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया:-

प्रस्ताव में बिंदु (vii) इस प्रकार पढ़ा जाए:

vii) सरकारी भूमि (उपयोग अनिर्धारित) के मानदंड अनुमोदित ले-आउट/स्कीम के अनुसार होंगे, जिसके लिए विकास नियंत्रक संबंधित उपयोग परिसर के अनुसार होंगे।

2. मामले को अंतिम अधिसूचना जारी किए जाने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को भेजा जाए।

मद सं. 63/2018

रा.रा.क्षे. दिल्ली में होटलों और रेस्टोरेंट में माइक्रोब्रिवरीज स्थापित करने के लिए दि.मु.यो.-2021 में प्रस्तावित संशोधन।

एफ.3(29)2009/एमपी

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। प्रस्ताव को विचारार्थ और अंतिम अधिसूचना जारी करने हेतु आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया।

मद सं. 64/2018

डीयूएसआईबी दिशानिर्देशों के अनुसार अपीलीय प्राधिकरण के गठन और अपीलीय प्राधिकरण के लिए मानक प्रचालन प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन

एफ.केपीसी/13/2017/डीडीए

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद सं. 65/2018

अतिरिक्त एफएआर प्रभारों, उपयोग परिवर्तन प्रभारों के भुगतान के लिए अतिरिक्त छः माह हेतु समय का विस्तार और जुर्माने में कमी

एफ.2(14)2017-18/एओ(पी)/डीडीए

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। प्रस्ताव को विचारार्थ और अंतिम अधिसूचना जारी करने हेतु आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया।

मद सं. 66/2018

फ्लैटो की मानक लागत निर्धारण हेतु 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक निर्माण की प्लिंथ क्षेत्रफल दरों (पीएआर) का निर्धारण।

एफ.21(2125)2018/एचएसी/डीडीए

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद सं. 67/2018

आर्बिट्रल अवाई की स्वीकृति/चुनौति हेतु दि.वि.प्रा. के अधिकारियों को प्रत्यायोजित शक्तियों को बढ़ाना।

एफ.ई.एम.1(10)18/डेलि.ऑफ पाँवर/डीडीए

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद सं. 68/2018

दिनांक 27.09.2005 नियमावली के संशोधन के रूप में रा.रा.क्षे. दिल्ली में निजी भूमि पर ईंधन स्टेशनों की स्थापना हेतु विनियम।

एफ.7(1)2018/एमपी

1. चर्चा के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि ईंधन स्टेशनों हेतु मसौदा विनियम के खंड-1 को निम्नानुसार संशोधित किया जाए:-

“शहरी क्षेत्रों (शहरी विस्तार क्षेत्र सहित) के सभी उपयोग जोनों में आने वाली निजी स्वामित्व वाली भूमि और कृषि क्षेत्र/हरित पट्टी में ईंधन स्टेशनों की अनुमति दी जाएगी, सिवाय जोन ‘ओ’ रिज, क्षेत्रीय पार्क, आरक्षित वन क्षेत्र, विकसित जिला/शहर/समुदाय पार्क, स्मारक विनियमित जोन, अनधिकृत कॉलोनियों में आने वाले भू-खंडों और विवादित भू-खंडों के जिनमें भूमि अधिग्रहण कार्यवाहियाँ लंबित हैं। मामला निर्णयाधीन है। तथापि, सभी सांविधिक मंजूरीयों की शर्त पर अविकसित मनोरंजनात्मक क्षेत्रों (रिज/मनोरंजनात्मक पार्क के अपवाद के साथ) में सीएनजी स्टेशनों की अनुमति होगी।”

2. मामले को अनुमोदन हेतु आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जाए।

मद सं. 69/2018

एयर फोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड और वेलफेयर हाउसिंग सोसाइटीज ऑफ आर्म्ड फोर्सिस और अन्य सरकारी विभागों को एक शयन कक्ष वाले फ्लैट ऑफर करना।
एफ.1(372)2018/कोर्डि./एच

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद सं. 70/2018

पैरा मिलिट्री फोर्सिस और दिल्ली पुलिस के लिए नरेला स्थित एमआईजी फ्लैटों के आबंटन हेतु प्रस्ताव।

एफ.1(372)2018/कोर्डि./एच

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया।

मद सं. 71/2018

ऑनलाइन रनिंग स्कीम लांच करने हेतु प्रस्ताव

एफ.1(372)2018/कोर्डि./एच

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा उठाए गए अन्य बिंदु

श्री विजेन्द्र गुप्ता

- i. दि.वि.प्रा. के पार्कों में हरित अपशिष्ट के उचित प्रबंधन की कोई व्यवस्था नहीं है।
- ii. अधिकतर दि.वि.प्रा. पार्कों में सुरक्षा संबंधी समस्याएं हैं।
- iii. कई नव निर्मित सामुदायिक हाल प्रचालन में नहीं है और कूड़ाघर बन गए हैं। प्राधिकरण द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, इनका प्रचालन आरडब्ल्यूए द्वारा किया जाना चाहिए।

श्री सोमनाथ भारती

- i. हौज खास में शारदा पार्क के निकट ट्रैफिक की भीड़-भाड़ है।
- ii. मुख्य योजना में संशोधन के बावजूद, दुकानदारों को सीलिंग से कोई राहत नहीं दी गई।
- iii. हौज खास डियर पार्क में कुत्तों का खतरा और सुरक्षा संबंधी समस्या है।
- iv. हौज खास रोज गार्डन में नाले की समस्या का अभी तक समाधान नहीं हुआ।

श्री ओ.पी. शर्मा

- i. सदस्यों के पत्रों का जवाब शीघ्रता से दिया जाना चाहिए।
- ii. दि.वि.प्रा. को आरडब्ल्यूए द्वारा पार्कों के अंगीकरण हेतु नीति को सरल बनाना चाहिए। पार्कों में ओपन जिम प्रदान करने हेतु नीति को भी संगत बनाना चाहिए।
- iii. दि.वि.प्रा. को बाल उद्यान विकसित करने चाहिए।
- iv. पेपर मार्केट बड़े ही अस्वास्थ्यकर पर्यावरण में स्थित है और सुरक्षा संबंधी समस्याएं हैं। दुरुपयोग प्रभार में एकमुश्त राहत प्रदान की जानी चाहिए।
- v. पक्की सड़कों से अतिक्रमण हटाने के लिए समाधान तलाशे जाने चाहिए।
- vi. डीएनडी के आस-पास अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर दि.वि.प्रा. को अवश्य कार्रवाई करनी चाहिए।

श्री एस के बग्गा

- i. दि.वि.प्रा. भूमि पर अनधिकृत व्यापार को प्राथमिकता आधार पर हटाया जाना चाहिए।

श्री जयेन्दर कुमार डबास

- i. उत्तरी डीएमसी टीकरी कलां स्थित पीवीसी मार्केट में खाली प्लॉटों पर अनधिकृत रूप से मलबा डाल रही है।

माननीय उपराज्यपाल ने निदेश दिया है कि विगत एक वर्ष में प्राधिकरण बैठकों के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों की समीक्षा की जाए और प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

माननीय उपराज्यपाल ने बैठक में भाग लेने के लिए सभी सदस्यों, विशिष्ट आमंत्रित व्यक्तियों और वरिष्ठ अधिकारियों को धन्यवाद दिया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।
